रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 6 अगस्त, 1986/15 श्रावण, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जून, 1986

संख्या एच० एफ० डब्ल्यू० (बी०) (ए) 2-1/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 (1980 का 3) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाना चाहते हैं। उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित प्रस्तावित नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके कि उनसे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से 30 दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

यथा पूर्वोक्त 30 दिन की कालावधि के भीतर पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।

1626-राजपत्र/86-6-8-86—1,183. मूल्य: 20 पैसे।

आक्षेप या सुझाव सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 को भेजे जाएंगे ।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी परिषद सदस्यता (निर्वाचन) नियम, 1986 है ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 अभिप्रेत है ;

(ख) "निर्वाचक" से होम्योपैथी में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी अभिप्रेत हैं जो होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम 1979 की धारा 16 के अनुसार तैयार किये गए रजिस्टर के भाग "क" और "ख" मे दर्ज किये गए हैं ;

(ग) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है ;

(घ) "रिटर्निंग अधिकारी" से हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. **निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना.**—रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 15 और 16 के अधीन तैयार किए गए रजिस्टर में दिए गए रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक व्यवसायियों के नाम के आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार करेगा ।

4. **निर्वाचन की सूचना**—(1) जब कभी परिषद का निर्वाचन किया जाना हो या कोई रिक्ति भरी जानी हो, तो रिटर्निंग अधिकारी उपबन्ध "क" में निर्वाचन की बावत जानकारी व निर्देश उपवर्णित करते हुए समस्त निर्वाचकों को सूचना जारी करेगा और निम्नलिखित प्रज्ञापित करेगा :—

(क) निर्वाचन की तारीख ;
(ख) भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ;
(ग) तारीख और समय जिस तक अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ;
(घ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तारीख और समय ;
(ङ) तारीख और समय जिस तक अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता से प्रत्याहृत कर सकता है ; और
(च) निर्वाचकों सम्बन्धी किसी अन्य जानकारी का पूछा जाना ।

(2) सूचना की एक प्रति रजिस्ट्रार के कार्यालय में सूचना पट पर चिपकाई जाएगी और साथ ही हिन्दी और अंग्रेजी के मुख्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी ।

5. **मतदाताओं की 8 अर्हताएं.**—(1) कोई भी व्यक्ति तब तक मत डालने या निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि अधिनियम की धारा 15 और 16 के अधीन तैयार किए रजिस्टर के भाग "क" और "ख" में उसका नाम दर्ज नहीं कर दिया जाता है ।

(2) निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली से इस कारण नहीं हटाया जाएगा कि वह अन्तिम रजिस्टर के पश्चातवर्ती प्रकाशन के कारण उस हैसियत में नहीं रहा जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकृत था ;

परन्तु निर्वाचन के अभ्यर्थी के पास अपेक्षित अर्हताएं/प्रास्थिति अवश्य रहनी चाहिए जिसके आधार पर वह निर्वाचन लड़ रहा है ।

6. **रिटर्निंग अधिकारी.**--रजिस्ट्रार, रिटर्निंग अधिकारी होगा और रिटर्निंग अधिकारी के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

7. **नामांकन पत्र दाखिल करना.**--प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक निर्वाचक द्वारा उपबन्ध "ख" में किए प्रारूप पर जो कि रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध होगा प्रस्तावित और एक अन्य निर्वाचक द्वारा समर्थन किए जाने की अपेक्षा की जाएगी और नामांकन पत्र के साथ 250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये) की प्रतिभूति रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में कार्यालय समय के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में वितरण करके लिखित रसीद प्राप्त करके अग्रेषित की जाएगी ताकि वह प्रयोजन के लिए अधिसूचित तारीख और समय तक उस के पास पहुंच जाए ।

8. **प्रतिभूति का समय हरण और प्रतिदाम.**--ऐसे अभ्यर्थी की प्रतिभूति रकम समयहृत कर ली जाएगी जिसके पक्ष में कुल विधिमान्य मतों के 1/6 भाग से अधिक मत नहीं पड़त हैं या कुल विधिमान्य मतों के पूरे 1/6 भाग मत पड़े हैं। प्रतिभूति जमा वापिस कर दिया जाएगा । यदि अभ्यर्थी ने प्रयोजन के लिए विहित तारीख और समय तक तथा रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करके अपना नामांकन पत्र प्रत्याहृत कर लिया है या यदि अभ्यर्थी निर्वाचित कर लिया जाता है, किन्तु उसके पक्ष में विधिमान्य मतों के 1/6 भाग से अधिक मत नहीं पड़े हैं या यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है ।

9. **नामांकन पत्रों की सम्मति.**--(1) प्रस्तावित अभ्यर्थी, निर्वाचन में खड़ा होने में सहमति प्रकट करने के प्रतीक स्वरूप अपना नामांकन पत्र हस्ताक्षरित करेगा ।

(2) निर्वाचक उतने व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करने का हकदार होगा जितनी कि रिक्तियां हैं ।

10. **नामांकन पत्रों की संवीक्षा.**--(1) सब नामांकन पत्रों की संवीक्षा, इस प्रयोजन के लिए विहित तारीख को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(2) नामांकन पत्र अवधि मान्य घोषित कर दिया जायेगा, यदि ;

(क) प्रस्तावक या समर्थक ने, रिक्तियों की संख्या से अधिक नामांकन पत्र हस्ताक्षरित किये हैं ;

(ख) नामांकन पत्र अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है ;

(ग) नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के नाम सम्बोधित नहीं है और इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित तारीख और समय के भीतर, उस के पास रजिस्ट्रीकृत लिफाफ में नहीं पहुंचता है या उसको व्यक्तिगत रूप में वितरित नहीं किया जाता है ;

(घ) नियम 7 के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली 250/- रुपए की राशि अभ्यर्थी द्वारा नियत तारीख और समय के भीतर कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है ;

(ङ) इसमें रजिस्ट्रीकरण नहीं दिया है और अधिनियम की धारा 15 और 16 के अधीन तैयार किए गए रजिस्टर के भाग "क" और "ख" में प्रस्तावक और समर्थक का नाम नहीं है, या यदि किसी की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्टर के भाग गलत प्रतीत होते हैं ; और

(च) अभ्यर्थी जिस अपेक्षित अर्हता या प्रास्थिति के आधार पर निर्वाचन लड़ रहा है उसे खो बैठता है ।

(3) अभ्यर्थी या उसके द्वारा लिखित रूप में नियुक्त प्रतिनिधि, नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय हाजिर हो सकता है ।

उन अभ्यर्थियों की सूची जिन के नामांकन पत्र विधिमान्य घोषित कर दिए गए हैं। उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट पर चिपकाकर प्रकाशित कर दी जाएगी और सूची की प्रति निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों में से प्रत्येक को भेज दी जाएगी।

11. **निर्वाचन लड़ने से प्रत्याहरण**.—अभ्यर्थी, प्रत्याहरण पत्र को जो सम्यक रूप से उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और जो या तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित होगा रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज कर, ताकि प्रयोजन के लिए उसे नियत तारीख और समय में पहुंच सके, निर्वाचन लड़ने से अपना नाम प्रत्याहृत कर सकता है। एक बार किया गया प्रत्याहरण अन्तिम होगा।

12. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**.—नामांकन के प्रत्याहरण के लिए नियत समय के समाप्त हो जाने के तुरन्त पश्चात रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची अपने कार्यालय के सूचना पट पर चिपकाकर अधिसूचित करेगा।

13 **निर्वाचन प्रक्रिया**.—यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के समान हो तो सभी अभ्यर्थी सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम हो तो ऐसे सभी अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे और रिटर्निंग अधिकारी (रजिस्ट्रार) शेष रिक्तियों को भरने के लिए नई सूचना जारी करेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या से बढ़ जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी विहित प्रक्रिया से निर्वाचन की व्यवस्था करेगा। निर्वाचन का स्थान, तारीख और समय अधिसूचित किया जाएगा।

(क) मत, मत पत्र पर उपबन्ध "ग" में अंकित किए जाएंगे ;

(ख) प्रत्येक मतदाता के मत में भरी जाने वाली रिक्तियों के समान होंगे और मतदाता अपना मत देते समय अपने मत पत्र पर चिन्ह "X" या "√" अंकित करेगा या जिस अभ्यर्थी या जिन अभ्यर्थियों को मत देना चाहता है उसके/उनके नाम के सामने "X" या "√" चिन्ह अंकित करेगा;

(ग) मतदाता, मतपत्र लिफाफे में रखकर उसे मोहर बन्द करेगा और उसके बाहर किसी प्रकार का चिन्ह अंकित नहीं करेगा और उसे मतदान की तारीख को रिटर्निंग अधिकारी के नाम सम्बोधित करके भेजेगा ताकि मतपत्र के रजिस्टर रजिस्ट्रीकृत पत्र की प्राप्ति के लिए अधिसूचित तारीख और समय के भीतर उसके पास पहुंच जाए। शब्द "होम्योपैथिक निर्वाचन के लिए मतपत्र" रजिस्ट्रीकृत लिफाफे के ऊपरी सिरे पर अधोरेखांकित किए जाएंगे।

14. **मतपत्र का स्वरूप**.—मतपत्र में उपबन्ध "ग" में वर्णानुक्रम में नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम दर्शित होंगे। इन पर रिटर्निंग अधिकारी की मोहर लगाई जाएगी और उन पर वह अपने हस्ताक्षर भी करेगा। निर्वाचक नामावली में मतदाता की क्रम संख्या मत-पत्र की प्रतिवर्गी में अंकित की जाएगी। मतपत्र के साथ अग्रेषित पत्र लगाया जाएगा जिसमें तारीख और समय दिया जाएगा जिसको मतपत्र अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट में डाक द्वारा भेजा जाएगा और उसमें विभिन्न निर्वाचकों से प्राप्त मतपत्रों की गिनती की तारीख और समय भी अन्तर्विष्ट होगा।

15. **मतपत्रों का ठीक समय पर भेजा जाना**.—रिटर्निंग अधिकारी यह बात सुनिश्चित करेगा कि मतपत्र मतदान की तारीख से पूर्व अपने मत डालने के लिए प्रत्येक मतदाता के पास पहुंच जाने चाहिएं।

16. **मतपत्रों को रद्द करने की प्रक्रिया.**—(1) मतों की गणना के समय, नियम 13 (2) (ग) में निर्दिष्ट लिफाफे पर जिसमें मतपत्र रखे गए हों गिनती में शामिल नहीं किए जाएंगे, यदि वह,

(क) मतपत्र की प्राप्ति के लिए अधिसूचित समय के पश्चात प्राप्त हुआ है ;
(ख) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है ;
(ग) रिटर्निंग अधिकारी के नाम सम्बोधित नहीं किया गया है और ;
(घ) रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है और उसके ऊपरी भाग पर शब्द "होम्योपैथिक निर्वाचन के लिए मतपत्र" नहीं लिखे गए हैं ।

(2) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा मतपत्र, विभिन्न निर्वाचकों से प्राप्त मतपत्रों की गणना की तारीख को खोले जाएंगे और रिटर्निंग अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन अभ्यर्थियों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नाम-निर्दिष्ट अभिकर्ताओं की उपस्थिति में उनकी गणना जब तक यह पूरी नहीं हो जाती है बिना किसी व्यवधान के की जाएगी । गणना पूरी होने के तुरन्त पश्चात परिणाम घोषित कर दिया जाएगा :—

(क) रिटर्निंग अधिकारी यह निश्चय करेगा कि मतपत्र विधिमान्य है या अविधिमान्य ;
(ख) रिटर्निंग अधिकारी मत-पत्र को सकल अन्तरणीय मत से भिन्न अन्य किसी ढंग द्वारा निर्वाचन कराने की स्थिति में अविधिमान्य रूप से रद्द कर देगा :—

(i) जिस पर चिन्ह "X" या "√" नहीं है, या
(ii) जिस पर चिन्ह "X" या "√" इस प्रकार से लगाया गया है जिससे संदेह उत्पन्न हो जाए कि यह किसी अभ्यर्थी के लिए है ; या
(iii) जिस पर चिन्ह "X" या "√" भरी जाने वाली रिक्तियों से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने लगाया गया है ।

(घ) मत-पत्र पर आकृति या चिन्ह "X" या "√" की विरूपिता, जैसी भी स्थिति हो जिस से संदेह उत्पन्न हो जाता है कि चिन्ह "X" है या "√" है जैसा कि मूलरूप में अंकित किया गया था या उसको बदलने छिपाने या मिटाने का प्रयास किया गया है, वह अविधिमान्य हो जाएगा ।
(ङ) ऐसे रद्द किए गए मतपत्र पर रिटर्निंग अधिकारी शब्द "रद्द" पृष्ठांकित करेगा और रद्दकरण के आधार का संक्षिप्त उल्लेख करेगा ऐसे मतपत्र पृथक बंडल (ढेरी) में रखे जाएंगे और ये अभ्यर्थियों उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मोहर बन्द किए जाएंगे ।

17. **गणना के स्थान में प्रवेश.**—अभ्यर्थी या अभिकर्ता जो अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत मतदाता होना चाहिए मतपत्रों की गणना के समय हाजिर रहने के लिए अनुज्ञात होगा ।

18. **रिटर्निंग अधिकारी के विनिश्चय का अन्तिम होना.**—मतपत्र की विधिमान्यता पर या अन्यथा, रिटर्निंग अधिकारी के विनिश्चय की बाबत कोई भी आक्षेप तुरन्त अर्थात जब मतपत्रों की गणना की जा रही हो, लिखित रूप से किया जाएगा और मतदान केन्द्र सम्बन्धी आक्षेप मतदान के समय और तारीख के भीतर लिखित रूप में रिटर्निंग अधिकारी को किया जाएगा । रिटर्निंग अधिकारी आक्षेप पर विचार करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

19. **मतपत्रों की गणना, प्रक्रिया और संवीक्षा.**—(क) रिटर्निंग अधिकारी, प्रथमतः रजिस्ट्रीकृत मत आवरणों को खोलेगा, उनमें से मतपत्रों को निकालेगा और उनकी गणना करेगा और एक कथन में उनकी संख्या अभिलिखित करेगा ;
(ख) आवरण से निकाले गए मतपत्रों की संवीक्षा करेगा ; और
(ग) उन मतपत्रों को जो विधिमान्य समझे जाते हैं, रद्द किए गए मतपत्रों से अलग करेगा ।

20. **अभिलेख को मोहरबंद और पैक करना.**—अविधिमान्य मतपत्रों को रद्द करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी :—

(क) पैकेट में शेष मतपत्रों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा ;

(ख) उपबन्ध "घ" के प्रारूप पर परिणाम शीट तैयार करेगा ;

(ग) गणना करेगा और प्रत्येक पार्सल में मतपत्र की संख्या और कुल संख्या अभिलिखित करेगा; और

(घ) प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम उसके पार्सल में मतपत्रों की कुल संख्या को जोड़ेगा ।

21. **मतों के एक समान होने की स्थिति में लाट द्वारा निश्चय.**—यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों से अधिक एक समान मत प्राप्त करते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी लाट द्वारा विनिश्चय करेगा कि इन अभ्यर्थियों में से कौन निर्वाचित हो ।

22. **पुनः गणना के लिए उपबन्ध.**—कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता, मतों की गणना के दौरान किसी भी समय सब अभ्यर्थियों या किसी एक के मतों की पुनः गणना करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में प्रार्थना कर सकता है, और रिटर्निंग अधिकारी तदानुसार तुरन्त मतों की पुनः गणना करेगा रिटर्निंग अधिकारी स्व-विवेकाधिकार से भी किसी भी स्थिति में एक या अधिक बार मतों की गिनती पुनः कर सकता है यदि उसका किसी पूर्व गिनती के सही होने का समाधान न हो; परन्तु रिटर्निंग अधिकारी को मतों की एक से अधिक बार गणना करना कुछ भी आबद्धकर नहीं होगा ।

23. **परिणाम की घोषणा.**—(1) गणना पूरी होने पर रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के नाम, मतों की गणना के समय उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो सम्यक रूप निर्वाचित हुए हैं, घोषित करेगा ।

(2) रिटर्निंग अधिकारी अलग पैकेट में विधिमान्य और रद्द मतपत्रों को मोहरबन्द करेगा और प्रत्येक पैकेट पर इनकी विषय वस्तु का विवरण और निर्वाचन की तारीख अभिलिखित करेगा ।

24. **मतपत्रों की अभिरक्षा.**—रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन की तारीख से अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों, अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, यदि उपस्थित हों, निर्वाचन से सम्बन्धित मोहरबन्द किए जाने वाले सब मतपत्रों को छह मास की अवधि तक आवरण में सुरक्षित रखेगा और राज्य सरकार के किसी निदेश के अधीन उनको नष्ट भी करा सकेगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित,
सचिव ।

उपबन्ध "क"

[नियम 4 (1) देखें]

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद

निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए रजिस्टर के भाग "क" में प्रविष्ट होम्योपैथिक व्यवसायियों में से 3 और भाग "ख" में प्रविष्ट व्यवसायियों में से 2 सदस्यों के लिए तारीख ..... को निर्वाचन किया जाना है ।

(2) नामांकन पत्र अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को तारीख ..... या उससे पूर्व व्यक्तिगत रूप म या डाक द्वारा वितरित किए जा सकते है ।

(3) नामांकन पत्र के प्रारूप रिटर्निंग अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में केवल 25/- रुपए के संदाय पर प्राप्त किए जा सकते है ;

(4) नामांकन पत्रों की संवीक्षा ..... को ..... होगी ;

(5) अभ्यर्थिता के प्रत्यहरण की सूचना के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थिता या उसके द्वारा सम्यक रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत प्रस्तावक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को ..... बजे .... तक ..... तारीख को दी जा सकेगी ;

(6) मत गणना ..... को .... (स्थान) में रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में ..... बजे होगी तथा पत्र जो उक्त तारीख और समय तक प्राप्त चिन्हित मतपत्रों की गणना की जाएगी ;

(7) परिणाम मत गणना के पश्चात तुरन्त घोषित किया जाएगा ।

स्थान. .....

तारीख. .....

.....
(नाम)
रिटर्निंग अधिकारी ।

उपबन्ध-ख

(नियम 7 देखें)

नामांकन पत्र

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति राज्य परिषद का निर्वाचन मैं ..... श्री ..... को उक्त परिषद के सदस्य के निर्वाचन के लिए सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं ।

अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम ..... रजिस्टर में क्रमांक ..... पता ....

क्या अधिनियम की धारा. ..... 16 के अधीन रजिस्टर के भाग "क" या "ख" में रजिस्ट्रीकृत है .....
उसका नाम निर्वाचक नामावली में क्रमांक ..... पर प्रविष्ट है ।

मेरा समर्थक का नाम निर्वाचक नामावली में क्रमांक ..... पर प्रविष्ट है :

प्रस्तावक के हस्ताक्षर,
रजिस्ट्रीकरण सं0 ... भाग ... ...

मैं ..... श्री ..... के नाम निर्देशन का समर्थन करता हूं ।

तारीख .....

समर्थक के हस्ताक्षर,
रजिस्ट्रीकरण सं0 ..... भाग .....

मैं ..... उक्त उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन से सहमत हूं और एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरा नाम रजिस्टर के भाग ..... में प्रविष्ट है ।

तारीख .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर,
रजिस्ट्रीकरण सं0 ...

उपबन्ध-"ग"

(नियम 14 देखें)

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्-डाक मत-पत्र

भाग–1

संख्या .....

निर्वाचक नामावली भाग से .....
निर्वाचक का क्रमांक .....

भाग–क में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी के लिए डाक-मत,-पत्र

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	"×" या "√" चिन्ह के लिए स्थान
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

भाग-2

उपबन्ध (ग)

भाग-ख में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी के लिए डाक-मत, पत्र

क्रमांक 1	अभ्यर्थी का नाम 2	चिन्ह "×" "√" के लिए स्थान 3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

हस्ताक्षर या निशान,
अंगूठा ।

टिप्पण:—(1) डाकमत-पत्र-क से केवल तीन सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं । अत: केवल तीन सदस्यों के चिन्ह लगाइये ।

2. डाक मत-पत्र से केवल दो सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं । अत: केवल दो सदस्यों के लिये चिन्ह लगाईए ।

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा

नामांकन पत्र का क्रमांक .....

यह नामांकन पत्र मुझे .....(स्थान) में ..... बजे तारीख ..... को अभ्यर्थी / समर्थक .....(नाम) द्वारा वितरित किया गया था ।

तारीख .....

रिटर्निंग अधिकारी ।

नामांकन पत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति करने वाले रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय ।

मैंने इस नामांकन पत्र की विधि के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित विनिश्चय करता हूं ।

स्थान .....

तारीख .....

रिटर्निंग अधिकारी ।

उपबन्ध "घ"

(नियम 20 देखें)

.....भाग-ख की परिणाम शीट

मत पत्रों की कुल संख्या	डाले गए मतपत्रों की कुल संख्या	रद्द किए मतपत्रों की कुल संख्या	स्वीकृत विधिमान्य मत-पत्रों की कुल संख्या	विधिमान्य मतों कुल संख्या
1	2	3	4	5

अभ्यर्थियों के नाम — प्रति पेटिका में डाले गए विधिमान्य मतों की गणना

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

कुल विधिमान्य मत.....

प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल मत.....

उपबन्ध "घ"

(नियम 20 देखें)

..... के भाग-क ..... की परिणाम शीट

मतपत्रों की कुल संख्या	डाले गए मतपत्रों की कुल संख्या	रद्द किए मत पत्रों की कुल संख्या	स्वीकृत विधिमान्य मत पत्रों की कुल संख्या	विधिमान्य मतों की कुल संख्या
1	2	3	4	5

भाक - क

अभ्यर्थियों के नाम	प्रतिमत पेटिका में डाले गए विधिमान्य मतों की गणना									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										

प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल मत

कुल विधिमान्य मत .....

..... के भाग - ख ..... की परिणाम शीट (कृपया भाग-ख के लिए इसी प्रकार की विवरणी तैयार कीजिए)।

[*Authoritative English text of Notification No. HFW-B (A) 2-1/85, dated 20-6-1986 is hereby published in the Himachal Pradesh Rajpatra as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th June, 1986

No. HFW-B (A) 2-1/85.—The following draft rules, which the Governor of Himachal Pradesh proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 53 of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979 (Act No. 3 of 1980) is hereby published as required under the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the stipulated period of 30 days as aforesaid will be considered by the State Government.

The objection or suggestion may be addressed to the Secretary (Health & Family Welfare) to the Government of Himachal Pradesh Shimla-171002.

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Council Membership (Election) Rules, 1986;

(2) These shall come into force at once.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context.—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979;

(*b*) "Elector" means the registered Practitioners in Homoeopathy as entered in Part A & B of the register maintained under Section 16 of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979;

(*c* "Form,, means a form or forms appended to these Rules;

(*d*) "Returning Officer" means the Registrar of the Council of the Homoeopathic System of Medicines, Himachal Pradesh.

(2) All other words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. *Preparation of Election rolls.*—The Registrar shall prepare the electoral rolls from the Register containing the names of registered Homoeopathic Practitioners under section 15 and 16 of the Act.

4. *Notice of Election.*—(1) Whenever an election is to be held to the council or a vacancy is to be filled, the Returning Officer shall issue a notice as per Annexure 'A' to all the electiors setting forth directions and intimating:—

(*a*) the date of election;

(*b*) the number of vacancies to be filled;

(*c*) the date and time by which the candidate should be nominated;
(*d*) date and time of scrutiny of nomination papers;
(*e*) date and time by which candidate can withdraw his candidature; and
(*f*) ask for any other relevant information in regard to the electors.

(2) A copy of the notice shall be affixed on the notice board in the office of the Registrar as well as publishing, the same in the leading News papers of English and Hindi.

5. *Qualification of Voters.*—(1) No person shall be qualified to vote or to be elected unless his name is entered in Para and Part-B of the register maintained under sections 15 and 16 of the Act.

(2) A Voter's name shall not be removed from the electoral roll for the reason that the elector has, subsequent to the publication of the final register, ceased to hold the capacity in which he was registered as such:

Provided that a candidate for an elector must continue to hold the requisite qualifications/ capacity by virtue of which he is seeking election.

6. *Returning Officer.*—The Registrar shall be the Returning Officer and he shall carry out all the duties of the Returning Officer.

7. *Filing of nomination papers.*—Every candidate shall be required to be proposed by an elector and seconded by another elector on the form as per '*Annexure-B*' which shall be available from the Office of the Registrar and nomination paper along with bank draft of Rs. 250/- as security should be forwarded to the Returning Officer by name under a registered cover or delivered to him personally during office hours against a receipt in writing, so as to reach him by the date and the time notified for the purpose.

8. *Forfeiture & Refund of Security.*—The security amount shall be forfeited in the case of a candidate who does not poll more than one-sixth of the total valid votes polled as a whole or the candidate has polled exactly one-sixth of the valid votes polled. The security deposit shall be refunded, if the candidate has withdrawn his nomination paper by communicating the fact to the Returning Officer by the date and time prescribed for the purpose or if the candidade is elected but he does not poll more than one-sixth of the valid votes or if a contesting candidate dies before the commencement of the poll.

9. *Consent to nomination.*—(1) The candidate proposed shall sign his nomination paper as a token of his consent to stand for the election.

(2) Elector shall be entitled to nominate as many persons for election as there are vacancies.

10. *Secrutiny of nomination paper.*—(1) All nomination papers shall be scrutinised by the Returning Officer on the date prescribed for the purpose;

(2) A nomination paper shall be declared invalid:

(*a*) if a proposer or a seconder has signed the nomination papers of more candidates than the number of vacancies;

(*b*) if the nomination paper is not signed by the candidate or by the proposer or by the seconder ;

(*c*) if the nomination paper is not addressed to the Ruturing Officer by name, and does not reach him under a registered cover, or is not delivered to him personally by the date and time notified for the purpose.

(*d*) if a sum of Rs. 250/- required to be deposited as security under rule 7 by the candidate is not received by the Returning Officer within the stipulated date and time;

(*e*) if it does not bear the registration number and parts A & B of the register maintained under section 15 & 16 of the Act of the proposer and seconder, or if the registration number and parts of the register of any of them happen to be inaccurate ; and

(*f*) if the candidate has ceased to hold the requisite qualification or capacity by virtue of which he is seeking election;

(3) A candidate or a representative of the candidate appointed by him in writing may be present at the time of scrutiny of nomination papers. A list of candidates, whose nomination papers are declared valid, shall be published by affixing the same on the notice board in the office of the Returning Officer on the same day, and a copy of the list shall be forwarded to each of the candidates nominated for election.

11. *Withdrawal from contest.*—A candidate may withdraw his name from contesting an election by presenting a letter of withdrawal duly signed by him, to the Returning Officer personally or send it by registered post so as to reach him by the date and time appointed for the purpose. The withdrawal letter sent by post shall be duly signed by him and attested either by a First Class Magistrate or a Gazetted Officer. A withdrawal once made shall be final.

12. *List of contesting candidates.*—Immediately after the time for withdrawal of nomination papers is over, the Returning Officer shall notify the final list of contesting candidates by affixing the same on the notice board of his office.

13. *Election procedure.*—If the number of contesting candidates is equal to the number of the vacancies, all such candidates shall be declared to be duly elected. If the number of such candidates is fewer than the number of vacancies, all such candidates shall be declared elected and the Returning Officer (Registrar) shall issue a fresh notice to fill the remaining vacancies. If the number of such candidates exceeds the number of vacancies to be filled the Returning Officer shall arrang election through the prescribed procedure. The place, date and time of election shall be notified:

(*a*) Votes shall be recorded on the ballot paper as per Annexure-C.

(*b*) Every voter shall have as many Votes as there are vacancies to be filled, and a voter in casting his vote shall place on his ballot paper 'X' or "√" mark in the space opposite the name of the candidate(s) in whose favour he wishes to vote.

(*c*) The voter shall place the ballot paper in an envelope duly sealed without any kind of mark outside the envelope and forward the same in a registered cover on the date of polling, addressed to the Returning Officer by name, so as to reach him not later than the date and hour notified for the receipt of the registered letter of ballot paper. The words "Ballot paper for Homoeopathic Election" duly underlined should be written on the top of the registered cover.

14. *Design of ballot paper.*—The ballot paper shall contain the names of duly nominated candidates in alphabetical order in Annexure-C. It shall be stamped with the stamp of the Returning Officer and also signed by him. The serial number of the electoral roll of the voter shall be noted on the counterfoil of the ballot paper. The ballot paper shall be accompanied by a forwarding letter indicating the date and hour, by which the ballot paper shall be posted in a registered cover and shall also contain the date and time of counting of ballot papers received from various electors.

15. *Timely sending of ballot paper.*—The Returning Officer shall ensure that all the ballot papers along with ballot paper cover should reach each voter well before the date of posting of ballot papers, for casting his votes.

16. *Procedure for rejection of votes.*—(1) At the time of counting of votes, an envelop containing the ballot paper etc. referred to in rule 13 (2)(c), shall not be considered, if it is received:—

(*a*) after the time notified for the receipt of ballot papers is over;

(*b*) otherwise than by Registered post;

(*c*) not addressed to the Returning Officer by name; and

(*d*) by registered letter not containing the words "Ballot paper for Homoeopathic Election" at the top of the registered letter.

(2) The ballot papers, received by registered post shall be opened on the date of the counting of the ballot papers received from the various electors and shall be counted in the presence of candidates or their Agents duly nominated by them and under the supervision of the Returning Officer without break until it is completed. The result shall be declared immediately after the counting is complete.

(3) (*a*) The Returning Officer shall decide whether a ballot paper is valid or is not valid.

(*b*) The Returing Officer shall reject a ballot paper as invalid;

(*c*) In the case of election other than by means of single transferable vote:—

(*i*) on which there is no '×' or "√" mark, or

(*ii*) on which the 'X' or "√" mark is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply; or

(*iii*) on which 'X' or "√" mark are placed opposite the name of more candidates than there are vacancies to be filled.

(*d*) Any defacement of the figure or the 'X' or "√" mark as the case may be, on the ballot paper, which makes ir doubtful whether the figure or 'X' or "√" mark is as it was original made or there has been an attempt to alter, suppress or erase it, shall make the ballot paper invalid; and

(*e*) On every paper so rejected the Returning Officer shall endorse the word 'Rejected' and shall briefly mention the ground of rejection. Such papers shall be kept in a seperte bundle and the bundle shall be sealed in the presence of candidates or their agents.

17. *Entry to the place of counting.*—A candidate or an agent, who must be a voter authorised by a candidate, shall be allowed be present at the time of counting of ballot pepers.

18. *Decision of Returning Officer shall be final.*—Any objection to the decision of the Returning Officer on the validity or otherwise of a ballot paper shall be made forthwith in writing, *i.e.* when ballot papers are counted, and any objection pertaining to the counting of votes shall be made to the Returning Officer, in writing, on the date and during the time of counting of votes. The Returning Officer shall consider the objection (s) and his decision shall be final.

19. *Counting, Procedure and scrutiny of ballot papers.*—The Returning Officer shall.—

(*a*) first open the registered ballot covers, take out from each cover and count the ballot papers contained therein and record their number in a statement;

(*b*) scrutinise the ballot papers taken out from the cover; and

(*c*) separate the ballot paper which he declares valid, from those which he rejects.

20. *Packing and sealing of record.*—After rejecting the ballot papers which are invalid, the Returning Officer shall.—

(*a*) arrange the remaining ballot papers in a packet;

(*b*) prepare the result sheets on the form at Annexure 'D';

(*c*) count and record the number of paper in each parcel and the total number; and

(*d*) credit to each candidate the total number of votes in the parcel.

21. *Decision by lot in case of tie.*—If two or more candidates obtain the same number of highest votes, the Returning Officer shall determine by lot, which out of those candidates is to be elected.

22. *Provision for recounts.*—Any candidate or his agent, may at any time during the counting of the votes, make a request in writing to the Returning Officer to recount the votes of all candidates or of any candidate; and the Returning Officer shall forthwith recount the same accordingly. The Returning Office may also at his discretion recount votes either once or more often in any case in which he is not satisfied as to the accuracy of any previous count, provided that nothing herein shall make it obligatory on the Returning Officer to recount the votes more than once.

23. *Declaration of result.*—Upon the completion of counting, the Returning Officer shall declare the name or names of the candidate(s) who have been duly elected in the presence of the candidates or their agents present at the time of counting of votes.

(2) The Returning Officer shall seal in the separate packets the valid and rejected ballot papers and record on each such packet the description of its contents and the date of election to which it referes.

24. *Custody of Election papers.*—The Returning Officer shall retain, until the expiry of six months from the date of election, all the papers connected with the election in a cover, to be sealed in the presence of the candidates or their representatives (agents) if present, and shall then subject to any direction to the contrary given by the State Government, cause them to be destroyed.

By order,
ARVIND KAUL,
Commissioner-cum-*Secretary.*

ANNEXURE—A

[*See* Rule 4 (1)]

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH

NOTICE OF ELECTION PROGRAMME

Notice is hereby given that:—

(1) An election is to be held for electing three (3) members from amongst the Homoeopathic Practitioners entered in Part-A, and two members amongst Homoeopathic Practitioners entred in Part-B of the register for the Council of Homoeopathic System of Medicines, Himachal Pradesh on.....(date).

(2) Nomination paper may be delivered by a candidate or his proposer in person or by post to the Returning Officer on or before.....

(3) Form of nomination paper may be obtained from the Returning Officer from his office on any working day on payment of Rs. 25/- only.

(4) The nomination paper will be taken up for scrutiny on...............date........

(5) Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer duly authorised in writing by the candidate for the purpose to the Returning Officer upto....................(hours) on.............(date).

(6) Counting of votes shall be done on..........at...............in the office of the Returning Officer at..............and marked ballot papers received upto the aforesaid date and time only shall be counted;

(7) The result shall be declared, immediately after the counting of votes.

Place.................
Date.................

....
Name,
Returning Officer.

ANNEXURE—B

(*See* Rule 7)

NOMINATION PAPER

Election to the State Council of Homoeopathic System of Medicines, Himachal Pradesh.

I,.............nominate Shri...............................as a candidate for election of member to the above council.
Candidate's Father or Husband's Name...
Serial No. in the Register...............................
Whether registered in Part A or B of the register under section 16 of the Act.................
Postal address..
His name is entered at Serial No.............in the electoral roll.
My name (proposer's name) is entered at Serial No................in the electoral roll.

Signature of Proposer.
Registration No......Part......

I,...................., second the nomination of Shri.......................

Signature of seconder,
Registration No..........Part......

I,.............., the above mentioned candidate assent to this nomination and hereby declare that my name is entered in Part.............of the register.

Signature of candidate,
Registration No..........Part........

Date............

(To be filled in by the Returning Officer)

Serial No. of Nomination Paper...................................
This nomination paper was delivered to me at................(place) at..........
................(date) by..........................candidate/proposer.............
(name).

Date.................

Returning Officer.

ANNEXURE—C

(*See* Rule 14)

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH

PART—I

POSTAL BALLOT PAPER

No.....
Serial Number of Elector.....

POSTAL BALLOT PAPER FOR CANDIDATES REGISTERED IN PART—A

Sl. No.	Name of Candidate	Space for 'X' of '√' mark
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

PART—II

POSTAL BALLOT PAPER FOR CANDIDATES REGISTERED IN PART-B

Sl. No.	Name of candidate	Space for 'X' or '√' mark
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Signature or thumb impression.

Notes.—1. Only three members are to be elected from Postal Ballot Paper-A, therefore, mark only against three candidates.

2. Only two members are to be elected from Postal Ballot Paper-B, therefore, mark only against two candidates (Decision of the Returning Officer accepting or rejecting the nomination papers).

I have examined this nomination paper in accordance with law and decide as follows:—

Place.....
Date.....

Returning Officer.

ANNEXURE—D

(*See* Rule 20)

Result sheet of Part—A.....of.....

Total Nos. of ballot papers	Total ballot papers polled	Total ballot papers rejected	Total valid ballot papers accepted	Total valid votes

Name of candidates	Counting of valid votes polled ballot-wise										Total votes received by each candidate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											

Total valid votes.....

Total valid votes.....

ANNEXURE—D

(*See* Rule 20)

Result sheet of Part-B.....of.....

Total nos. of Ballot papers	Total Ballot papers polled	Total ballot papers rejected	Total valid ballot papers accepted	Total vaild votes

Name of cadidates	Counting of valid votes polled Ballot-wise										Total votes received by each candidates
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											

Total valid Votes.....

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।